

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,  
विशेष सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-कानपुर देहात की 16 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-7420/43/10/छ:/विधि/2017-18, दिनांक 27 नवम्बर, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-कानपुर देहात की न0पं0, अकबरपुर की विभिन्न अल्पविकसित बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं यू टाईप नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 16 परियोजनाओं हेतु स्टम्भ-6 में अंकित कुल रू0 110.59 लाख (रूपये एक करोड़ दस लाख उनसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-1-17-14(31)/2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमशः.....2

ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

31/12/18

FC/रूपेण श्री AE को

19/12/18

1248

5. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व सूडा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजना/आगणन का गठन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई-8-1210-दस/2008 दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप किया गया है।
6. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरीपुनन्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

15. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
  16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च 2019 तक व्यय हो सके।
  2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-04-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
  3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2015, दिनांक 30.03.2018 व समय-समय पर जारी शासनादेशों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।
- संलग्नक - यथोक्त।

भूखदीप  
17/4/18  
(अनिल कुमार बाजपेयी)  
विशेष सचिव।

संख्या-64/2018/2183(1)/69-1-18. तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, कानपुर देहात।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9, 30प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
9. मुख्य क्लर्क/अधीक्षक, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,  
(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)  
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-641 /2018/2183(1)/69-1-18-203(मु0अ0-37)/2018, दिनांक 18 दिसम्बर,


2018 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	स्वीकृत की जा रही धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	कानपुर देहात	न0पं0, अकबरपुर	वार्ड नं0 09 सुभाष नगर में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 हाईवे रोड पाल मार्केट से सुरेन्द्र बाजपेई तिराहा तक इण्टरलाकिंग रोड व यू टाईप नाली का निर्माण कार्य।	2.69	2.69
2	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 07 अम्बेडकरनगर में पिन्दू चौरसिया के मकान से अरविन्द दीक्षित के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	3.60	3.60
3	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 10 लोहिया नगर में देवी चबूतरा से शिवराम की बाउण्ड्रीवाल के कोने से बंशीधर के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	6.03	6.03
4	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 07 अम्बेडकर नगर में इश्वरचन्द्र पाण्डेय के मकान से विजय सिंह सेंगर के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	5.03	5.03
5	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 10 लोहिया नगर में माटी रोड से सुनील सेंगर के घर होते हुये श्री सचान के घर तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	5.83	5.83
6	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 06 कृष्णा नगर में भूरा देव बाबा स्थान पर इण्टरलाकिंग बिछाने का निर्माण कार्य।	8.29	8.29
7	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 10 लोहिया नगर में रकेश के मकान से लाल बहादुर के मकान के आगे तक इण्टरलाकिंग रोड व यू टाईप नाली का निर्माण कार्य।	3.77	3.77
8	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 07 अम्बेडकरनगर में आर्मी हास्पिटल से पाल के मकान मंजू गुप्ता प्राईमरी टीचर के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	5.66	5.66
9	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 07 अम्बेडकर नगर में रणविजय के मकान से रणदीप यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	5.20	5.20
10	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 07 अम्बेडकर नगर में आदेश यादव के मकान से दीक्षित जी के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	4.48	4.48
11	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 07 अम्बेडकर नगर में सी0एच0सी0 रोड के पास श्रीवास्तव के मकान से फौजी के मकान एवं विनीता यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण	6.42	6.42

			कार्य।		
12	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 08 जसवन्तनगर में बड़े चाचा के मकान से शिशुपाल के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	8.06	8.06
13	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 08 जसवन्तनगर में ग्यान सिंह भाटिया के मकान से श्याम सुन्दर के मकान होते हुये पंचम के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	9.51	9.51
14	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 09 सुभाषनगर में छेदा लाल पाल के मकान से कालपी हाईवे रोड तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	8.06	8.06
15	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 12 बजरंग नगर में राम विलास के मकान (मन्दिर के पास) से प्रकाश कुशवाहा के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	8.42	8.42
16	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 08 जसवन्त नगर में हाईवे रोड श्रीराम के मकान से रामगोपाल के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड, यूटाईप नाली निर्माण कार्य।	19.54	19.54
योग				110.59	110.59

(रूपये एक करोड़ दस लाख उनसठ हजार मात्र)।

  
 (अखिलानन्द ब्रह्मचारी)  
 अनु सचिव।

<http://shasanadeshpw.nic.in>